झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–02/2016 के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत **दन्त चिकित्सक (मूल कोटि)** के पद पर **नियमित** नियुक्ति हेतु दिनांक–21.02.2018 को प्रकाशित लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों का आयोग कार्यालय में **दिनांक–05.03.2018 से अभिलेख सत्यापन एवं दिनांक–06.03.2018** से साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथिवार पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है।

2. साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **दिनांक–23.02.2018** से अपना **रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि** डालकर बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नम्बर 0651–2213009 पर कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की **मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तीन सेटों** में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

(i) उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ii) भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 डिग्री (BDS Degee) का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(iii) दन्त चिकित्सक के रूप में भारतीय दन्त पर्षद अथवा राज्य दन्त पर्षद से निबंधन प्रमाण पत्र।

(iv) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–I (BC-I)/ पिछड़ा वर्ग–II (BC-II) कोटि के अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–02/2016 में दिए गए निदेश एवं ऑनलाईन आवेदन में अंकित जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार अर्थात् झारखण्ड राज्य अन्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत किया गया हो उस प्रमाण पत्र की संख्या, निर्गत तिथि एवं निर्गत प्राधिकार के **अनुरूप** जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(v) निःशक्त (Physically Handicapped) अभ्यर्थी (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) द्वारा ऑनलाईन आवेदन में किए गए दावे एवं संबंधित प्रविष्टि के **अनुरूप** सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(vi) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ।

(vii) अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

5. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।